

I/465020/2024

संख्या- 07/2023/79/26-3-2023/C.N.-1396097

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।  
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-4257/स०क०/ शिक्षा-अ/2/597/2023-24 दिनांक 05.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-98/2023/3872/26-3-2023/C.No-1396097 दिनांक 06-12-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित समय सारिणी जारी की गयी है।

3- शासन द्वारा जारी उक्त समय-सारिणी दिनांक 06-12-2023 के अनुसार पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के स्तर से आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 02-01-2024 निर्धारित थी, किन्तु उक्त निर्धारित तिथि के अन्तर्गत कतिपय छात्र आनलाइन आवेदन नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 02-01-2024 द्वारा प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से तिथि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा भी तिथि बढ़ाये जाने का अनुरोध मौखिक रूप से किया गया है।

4- तत्क्रम में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संशोधित समय-सारिणी निम्नवत है:-

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
1	2	3
कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया		
1	छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	08 जनवरी, 2024 से 14 जनवरी, 2024 तक
2	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	18 जनवरी, 2024 तक

AO  
कृ. NIC/ALL  
DD/ALL PSWO  
व अन्ध के  
भोजे।

5.1.2024

(सिद्धार्थ मिश्र)  
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)  
मुख्यालय

I/465020/2024

3	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	19 जनवरी, 2024 तक।
4	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	21 नवम्बर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक।
5	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	20 फरवरी, 2024 तक
भुगतान की प्रक्रिया		
6	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	20 जनवरी से 04 फरवरी, 2024 तक
7	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना सन्देशास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	05 फरवरी से 10 फरवरी, 2024 तक
8	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	त्रुटियां संशोधन के पश्चात विलम्बतम 13 फरवरी, 2024 तक
9	संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	06 फरवरी से 14 फरवरी, 2024 तक
10	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देशास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	15 फरवरी से 21 फरवरी, 2024 तक

I/465020/2024

11	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृति करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से डाटा लॉक किया जाना।	05 फरवरी से 04 मार्च 2024 तक
12	मॉग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	08 मार्च, 2024 तक
13	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	15 मार्च, 2024 तक
14	अनुसूचित जाति के छात्रों को 60 प्रतिशत केन्द्रांश भुगतान हेतु भारत सरकार को डाटा शेयर किया जाना।	20 मार्च, 2024 तक

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by रजनीश  
चन्द्र(रजनीश चन्द्र)  
Date: 05-01-2024 18:56:17  
विशेष सचिव  
Reason: Approved

प्र0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)  
विशेष सचिव।